संख्या-114/2026//001-1353-23-12-2026-1903370

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में सी0आर0आई0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्यमार्ग-24 गौसगंज-सरायं-फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर स्थित रेलवे सम्पार सं0-353ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-I/113549/2025 (PWD-BDD60ESTM/47/2025-BDD6), दिनांक 11.02.2025 एवं ई-पत्रांक-I/587947/2026(PWD-BMC0GEN/160/2026-BMC), दिनांक 12.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0आर0आई0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्यमार्ग-24 गौसगंज-सरायं-फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर स्थित रेलवे सम्पार सं0-353ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 8432.67 लाख (रूपये चौरासी करोड़ बत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधोलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार उक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 2951.43 लाख (रूपये उन्तीस करोड़ इक्यावन लाख तिरालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। परियोजना का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि रू0 लाख में))

क्रम स0	क्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा का नाम	कार्य का नाम	रेल उपरिगामी सेतु की अनुमानित		ई0एफ0सी0 द्वारा स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित आवंटन
						लम्बाई (मी0)	लागत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बरेली	बरेली	फरीदपुर	आंवला	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्यमार्ग-24 गौसगंज-सरायं-फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर स्थित रेलवे सम्पार सं0-353ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य।	643.54	8529.11	8432.67	**2951.43**

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्ययोजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(10) भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के **पत्र सं0-सी0ई0-आर0ओ0/एलकेओ/यू0पी0/सी0आर0आई0एफ0/2024-25, दिनांक 18.02.2025 एवं** पत्र **सं0-सी0ई0-आर0ओ0/एलकेओ/यू0पी0/सी0आर0आई0एफ0/2024-25/2816, दिनांक 24.03.2026** में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(15) प्रश्नगत रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(17) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(18) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये।

(20) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में भूमि अध्याप्ति (9540.00 व०मी०) एवं भवन मुआवजा (103.50 व0मी0) हेतु लागत रू0 1500.82 लाख का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति / अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।

(21) प्रायोजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु की लागत रू0 2221.72 लाख प्रस्तावित की गई है। प्रभाग द्वारा मुख्य सेतु की लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है।

(22 प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग हेतु रू0 57.72 लाख, वन विभाग हेतु रू0 1.94 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार लागत अनुमन्य की जायेगी। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण करण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुन: आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग से प्राप्त मैटेरियल की सैल्वेज वैल्यू को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाय।

(23) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/लोक निर्माण विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(24) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग/शासन का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(25) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। आर०ओ०बी० निर्माण की लम्बाई चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन / परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(26) यह सुनिश्चत किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।

(27) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/ तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(29) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी तथा कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा निर्दिष्ट अवधि (24 माह) में पूर्ण कराया जाय।

(30) प्रश्नगत परियोजना को सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर पंजीकृत करा दिया गया है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू0 29,51,43,000 (रूपये उन्तीस करोड़ इक्यावन लाख तिरालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010518 केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ) पोषित आर.ओ.बी./आर.यू.बी. निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-445-X-2026-27, दिनांक 22.10.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

<u>पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन-1, नई दिल्ली को उनके **पत्र सं0-सी0ई0-आर0ओ0/एलकेओ/यू0पी0/सी0आर0आई0एफ0/2024-25, दिनांक 18.02.2025 एवं** पत्र **सं0-सी0ई0-आर0ओ0/एलकेओ/यू0पी0/सी0आर0आई0एफ0/2024-25/2816, दिनांक 24.03.2026** के संदर्भ में।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनु0-2
11- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।